

15-11-16

डा. च. 2/ 15/ 16
28/11/16

राज्य द्वारा एडीपीओ।

प्रकरण खात्मा पर विचार हेतु नियत है।

प्राथमिकी अनुसार दिनांक 04.03.15 की दरम्यानी रात फरियादी दिनेशकुमार पुत्र मथुराप्रसाद गुप्ता निवासी नहर मौहल्ला वार्ड क्र० 8 गोहद, की दुकान का स्टोर उसके मकान नर्सरी के पास गोहद रोड से अज्ञात चोर पीछे से दीवाल पर चढ़कर ईंटे एवं टीन हटाकर स्टोर दुकान के अंदर से घुसकर उसमें रखे टी०व्ही० इण्डेक्स कंपनी की, 3 गैस सिलेण्डर एवं रिफाईण्ड तेल की टीन कट्टी एवं गोदरेज साबुन की पेटी करीब 4500/-रुपये का सामान चोरी कर ले गए। जिसकी रिपोर्ट थाना गोहद चौराहे के अप०क्र०-44/15 पर पंजीबद्ध की गयी।

अनुसंधान में उक्त सामान के संबंध में अनुसंधान के दौरान तलाश की गयी परंतु माल तथा मुल्जिम दरियाफ्त (प्राप्त) नहीं हो सके। संदेहीजन से पूछताछ की गयी, केस डायरी में पर्चा संलग्न हैं। सामान प्राप्त न हो पाने से अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, गोहद की अनुशंसा सहित डायरी एफ०आर० हेतु खात्मा क्र० 11/15 पर कता की गयी।

खात्मा प्रकरण फरियादी दिनेशकुमार व विवेचक सुरेशदत्त मिश्रा के कथन कराए गए। फरियादी दिनेश कुमार ने पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट होना तथा खात्मा स्वीकार होने में आपत्ति न होना व्यक्त की है। उक्त सामान की चोरी हुए काफी समय हो चुका है।

फरियादी को खात्मा स्वीकार किए जाने में आपत्ति नहीं हैं। साथ ही भविष्य में माल व मुल्जिम मिलने पर पुनः अन्वेषण किया जाना संभव होगा। अतः खात्मा

स्वीकार किया जाता है।

खात्मा डायरी स्वीकार किए जाने की टीप सहित संबंधित खारखी के साथ वापस भेजी जावे। प्राथमिकी एवं खात्मा प्रतिवेदन की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्जक अभिलेखागार भेजा जावे।

(A.K. Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt. Bhind
यायिक माजिस्ट्रेट
गोहाट जिला भिण्ड पं.